सख्याः संख्या 1347 /आठ-1-2013 ....

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

'महत्वपूर्ण'

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 लखनऊ; 10 मई, 2013

विषय :माननीय न्यायालयों में योजित अवमानना वादों के सम्बन्ध में।

महोदय,

पिछले कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि आवासीय अभिकरणों यथा; उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 में, विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सामान्य जन द्वारा अभिकरणों तथा उ0प्र0शासन के विरूद्ध अवमानना वाद योजित किये जाते हैं, जिनकी अभिकरण स्तर पर प्रभावी पैरवी नहीं की जाती है, फलस्वरूप अभिकरणों के अधिकारियों के साथ ही साथ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवमानना वादों में मा0 न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर अत्यन्त विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है जोकि सर्वथा उपयुक्त नहीं है।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में सभी अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अपने स्तर से व्यक्तिगत रूचि लेकर विशेष रूप से अवमानना वादों की समीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी अवमानना वादों का निस्तारण उनके स्तर से अधिकतम 15 दिवस के अन्दर हो जाये।

15 दिवस के बाद अवमानना वादों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त अभिकरणों की समीक्षा जायेगी व वादों का समुचित निस्तारण न होने पर सम्बन्धित मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सभी अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से अनुरोध है कि अवमानना वादों के प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाये। अवमानना वादों की शासन स्तर पर समीक्षा किये जाने हेतु 'आवास–बन्धु' स्तर से एक फार्मेट का निर्धारण किया गया है जो पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। सभी अभिकरण संलग्नक निर्धारित प्रारूप पर 03 दिन के अन्दर सूचना अंकित कर हॉर्डकापी एवं सॉफ्टकापी (Editable), निदेशक, 'आवास–बन्धु' को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि 'आवास–बन्धु' के **'सेन्ट्रल–कम्प्यूटर'** पर इसे Application Software बनाकर फीड् कर दिया जाये, जिससे समय–समय पर शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सके।

संलग्नक : निर्धारित प्रारूप (01 पृष्ठ)

भवदीय,

(सदाकान्त) 10/5
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः

1. सचिव, आवास एवँ शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तद्नुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, 'आवास–बन्धु' उ0प्र0 को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

मा. न्यायालयों में अवमानना वादों का विवरण

अभिकरण का नामः

स्थिति दिनांक तकः

क. सं.	रिट सख्या	पक्षकार	विपक्षीगणों का पदनाम	विषय वस्तु (सँक्षेप में)	अन्तरिम आदेश की तिथि	प्रतिशपथ–पत्र की तिथि	अभ्युक्ति (क्या शासन के किसी अधिकारी के विरूद्ध अवमानना बनती है ?)
1	2	3		4	5	6	7
मा. न्यायालय का नामः स्थानीय न्यायालय							
मा. न्यायालय का नामः उच्च न्यायालय							
मा. न्यायालय का नामः सर्वोच्च न्यायालय							